

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—306 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 306)

1. कजोड पुत्र केला जाति रेगर निवासी गुच्ची नाडी के सामने रेगर मोहल्ला कोटिया रोड ग्राम देवलियांकला तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास कासोटिया जाति रेगर निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर दिनांक 12.06.2024 राजस्व वाद संख्या 147 / 2022

उपस्थित:—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांत
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांक:—10.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 147 / 2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अपीलांत व राज्य सरकार के प्रस्तुत किया। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 147 / 2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 30.4.2025 को अंतिम डिक्री की कार्यवाही हेतु मौके पर राजस्व कर्मी उपस्थित हुए तब प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि आपका प्रकरण तो दिनांक 12.6.2024 को निर्णित हो गया है तब पता किया तो जानकारी हुई कि उपरोक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री भी जारी हो चुकी है तत्पश्चात दोनों निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 1.5.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 2.5.2025 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थी फसल कटाई एवं घरेलू कृषि कार्यों में व्यस्त होने से अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। चूंकि प्रार्थी कम पढा लिखा एवं ग्रामीण क्षेत्र से है इसलिए प्रार्थी को यह जानकारी नहीं है कि उपरोक्त फैसले की अपील करने में भी समयावधि निर्धारित है इसलिए पूर्व में प्रार्थी अपील प्रस्तुत नहीं कर सका व प्रार्थी ने अन्य वकील श्री सांवरलाल जी चौधरी से सलाह मशवरा किया तब उन्होंने बताया कि तुरन्त उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी अजमेर जाकर अपील प्रस्तुत करनी होगी तब प्रार्थी फीस आदि की व्यवस्था कर दिनांक 20.6.2025 को अजमेर आया एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। जिसमें हुई देरी को क्षमा कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य है। मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए उपरोक्त अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।
6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।
न्यायिक दृष्टांत आर०आर०टी० 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963- धारा-5 विलम्ब का उपशमन-विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए-यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर०बी०जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से नियुक्त अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए थे जिसका खामियाजा कानूनन अपीलांट को नहीं दिया जा सकता चूंकि जब अपीलांट द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था तो उपस्थित होने का विधिक दायित्व अधिवक्ता का था परन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया, चूंकि कानूनन अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादित आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काशतकार है। ऐसी स्थिति में कानूनन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत बिना रिकार्डेड खातेदार काशतकार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलांट के विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक अनियमितता एवं अवैधानिकता की है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 147/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।
8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकला-ए, भू.अ.नि. देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 1883 में दर्ज खसरा नं. 2602 रकबा 0.07, 2603 रकबा 0.03, 2604 रकबा 0.28, 2606 रकबा 0.08, 2611 रकबा 0.03, 2612 रकबा 0.12, 2615 रकबा 0.10 है0 किता 7 रकबा 0.71 है0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काशत चले आ रहे हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादिया सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त कब्जे काशत की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त काशत की

अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का विधिवत विभाजन कर अलग-अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोंडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा यू0टी0 प्रस्तुत किया गया, परंतु प्रकरण में अनेक पेशियों के बावजूद भी उनकी ओर से उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 12.06.2024 को स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम देवलियांकला, तहसील भिनाय जिला अजमेर के खाता संख्या 1883 के खसरा नम्बर 2602, 2603, 2604, 2606, 2611, 2612, 2615 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 0.7100 के अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 1 दोनों 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार/काश्तकार हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात के बंटवारे बाबत वादी/रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर उक्त अविभाजित आराजीयात का बंटवारा कर आराजीयात को आधा-आधा वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजन कर खाता अलहदा-अलहदा किए जाने का अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दिनांक 28.11.2022 को दर्ज किया गया। दिनांक 28.12.2022 को प्रतिवादी/अपीलांत के अभिभाषक द्वारा यू0टी0 प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात पत्रावली नियमित रूप से आगामी पेशियों में नियत रही। प्रकरण में इतने पेशियां निकल जाने के बावजूद व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत/प्रतिवादी को अनेक न्यायहित में अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को अपीलांत/प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 12.06.2024 को प्रकरण में राजकीय पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त आराजीयात बाबत राजकीय हित प्रभावित नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी के आधार पर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अपीलांत द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांत/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 28.12.2022 को यू0टी0 प्रस्तुत कर दी गई परंतु प्रकरण में उनके अवसर देने के उपरांत भी

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो वकालतनामा प्रस्तुत किया ना ही स्वयं उपस्थित हुए इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उनके विरुद्ध दिनांक 22.05.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत/प्रतिवादी के पास भरपूर अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही पारित की गई है, जिसमें किसी भी पक्ष का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अनावश्यक लंबित करने की मंशा से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांत द्वारा कहे गए कथनों में विधिक बल नहीं होने से तथा अपीलांत अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 147/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर